इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 5] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 1 फरवरी 2019—माघ 12, शक 1940

भाग २

स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश

बालाघाट, दिनांक 15 जनवरी 2019

क्र. 27.—मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 5 (क) (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, राज्य शासन, नगरपालिका परिषद् मलांजखण्ड, जिला बालाघाट की सीमा से अपवर्जित कर निम्न अनुसूची-1 में दर्शाये स्थानीय क्षेत्रों को अपवर्जित करने का अभिप्राय प्रकट करता है.

अनुसूची में दर्शित अपवर्जित क्षेत्रों की अधिकारिता रखने वाला स्थानीय प्राधिकारी या इसमें निवास करने वालों का कोई भी व्यक्ति यदि उसमें अंतर्विष्ट किसी बात के संबंध में आपत्ति रखता है तो इस सूचना के ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर अपनी लिखित आपत्ति / सुझाव कलेक्टर, जिला बालाघाट को प्रस्तुत कर सकता है, जिस पर राज्य शासन द्वारा विचार किया जायेगा:—

अनुसूची-1

क्रमांक	पूर्व में सम्मिलित क्षेत्र	अपवर्जित किये जाने वाले क्षेत्र का विवरण	तहसील	अपवर्जित किये जाने वाले वार्ड का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	वार्ड क्रमांक 25	क्षेत्र—बोरखेड़ा का संपूर्ण क्षेत्र.	बिरसा	522.734
	वार्ड क्रमांक-26	क्षेत्र—छिन्दीटोला का संपूर्ण क्षेत्र.		611.284
		क्षेत्र—सूजी का संपूर्ण क्षेत्र.		316.241
			कुल योग . .	1450.259

अनुसूची-2

अनुसूची—1 में दर्शाये गये अपवर्जित क्षेत्रों के पश्चात नगरपालिका परिषद मलांजखण्ड की पुनरीक्षित सीमा निम्न प्रकार है:—

उत्तर से पूर्व:—वार्ड क्रमांक 01 की सीमा से प्रारंभ होकर वार्ड क्रमांक 14, 15 एवं 16 की सीमा से होते हुये वार्ड क्रमांक 20 की सीमा तक.

पूर्व से दक्षिण:—वार्ड क्रमांक 20 की सीमा से प्रारंभ होकर वार्ड क्रमांक 24, 22 की सीमा से होते हुये वार्ड क्रमांक 23 की सीमा तक.

दक्षिण से पश्चिम:—वार्ड क्रमांक 23 की सीमा से प्रारंभ होकर वार्ड क्रमांक 12, 13 एवं 11 की सीमा से होते हुये वार्ड क्रमांक 10 की सीमा तक.

पश्चिम से उत्तर:—वार्ड क्रमांक 10 की सीमा से प्रारंभ होकर वार्ड क्रमांक 05, 04 एवं 02 की सीमा से होते हुये वार्ड क्रमांक 01 की सीमा तक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य, कलेक्टर.

Balaghat, the 15th January 2019

No. 27.—In exercise power conformed by clause 5-A(1) of Madhya Pradesh Muncipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961), The State Government here by notify its intension to exclude the local area which are shown in the schedule below within the limit of the Nagar Palika Malajkhand district Balaghat.

The Local authority having Jurisdiction in the said area or person resident there in may submit his objection or suggestion in writing to the Collector, District Balaghat with in thirty days from the date of publication of the notification in "Madhya Pradesh Rajpatra" and State Government take such objection in to consideration:—

SCHEDULE-1

S. No.	Name of the previous including area	Name of the excluding village area	Tehsil	Excluding Area (in hectares)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Ward No. 25	Area—Whole area of Borkheda	Birsa	522.734
	Ward No. 26	Area—Whole area of Chhinditola		611.284
		Aera—Whole area of Sooji		316.241
			Total . .	1450.259

SCHEDULE-2

Revised boundary of Nagar Palika Malajkhand excluding the area shown in schedule No. 1.

From North to East:—Starting from boundary of Ward No. 01 along with Ward No. 14, 15 and 16 to boundary of Ward No. 20.

From East to South:—Starting from boundary of Ward No. 20 along with Ward No. 24 and Ward No. 22 to boundary of Ward No. 23.

From South to West:—Starting from the boundary of Ward No. 23 along with Ward No. 12, 13 and 11 to boundary of Ward No. 10.

From West to North:—Starting from the boundary of Ward No. 10 along with Ward No. 05, 04 and 02 to boundary of Ward No. 01.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DEEPAK ARYA, Collector.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.